"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 2 फरवरी 2016 — माघ 13, शक 1937

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-05/2010/सात-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में, -

अनुसूची-एक में, सरल क्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"7	राजस्व निरीक्षक	(643+523) 1166	-तदैव-	5200-20200	2800	(1) 643 पद नियमित है तथा 523 डाईंग कैडर है. (2) यह वेतनमान 01-04-2006 से प्रभावशील होगा."

No. F-1-05/2010/SEVEN-1. — In exercise of the power conferred by the proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Land Record Class-III Non-Gazetted (Executive and Technical) Service, Recruitment Rules, 2014, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

In Schedule-I, for serial number 7 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"7	Revenue Inspector	(643+523) 1166	-do-	5200-20200	2800	(1) 643 Posts are regular and 523 Posts are dying cadre. (2) This pay scale shall be effective from 01-04-2006."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.